R 1182 - I - 17

समक्षः - श्रीमान् राजस्व मण्डल (रेवेन्यू बोर्ड) महोदय, ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण क्रमांक

ललित पटैल बल्द रामकुमार पटैल उम्र 22 वर्ष
पता सुभाष वार्ड हटा थाना हटा जिला दमोह.

---पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

बालचंद पटैल बल्द गोविन्द प्रसाद पटैल पता बालाजी वार्ड
हटा थाना हटा जिला दमोह.

--- उत्तरवादी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा- 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

श्रीमान् जी,

पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण श्रीमान् अधीक्षक भू अभिलेख दमोह पक्षकार बालचंद पिता गोविन्द प्रसाद द्वारा पेश आवेदन पत्र वास्ते कृषि भूमि का सीमांकन विषयक पेश किया जिसमें उसने श्रीमान् तहसीलदार महोदय बटियागढ़ के समक्ष मौजा राझी (रोसरा) खसरा नं. 31/2 रकबा 0.19 हे. एवं खसरा नं. 1/4 रकबा 4.86 हे. भूमि के सीमांकन बाबत् आवेदन पत्र दिया था जिसमें श्रीमान् अधीक्षक भू अभिलेख दमोह द्वारा एवं उनके द्वारा गठित टीम द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को वगैर नोटिस दिए उसकी वगैर मौजूदगी में एकपक्षीय आदेश दिनांक 10-1-17 पारित कर दिया गया, पुनरीक्षणकर्ता आदेश दिनांक 10-1-2017 एवं 19-1-2017 से पीड़ित व दुखित होकर पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान् जी के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है -

पुनरीक्षण के आधारः-

(19)

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-1182-एक/2017 ललित विरूद्ध बालचंद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 1. आवेदक ललित की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया एवं अनावेदक बालचंद की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । 2. आवेदक के द्वारा तहसीलदार बटियागढ़ के सीमांकन आदेश दिनांक 10-01-2017 एवं 19-01-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 26-12-2018 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 30.10.18 (आर.के. जैन) सदस्य	